

# न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12(RTI)/08/2025

रजि० नं० 2025/397

प्रवेश तिथि 07.10.2025

अपीलार्थी :-	प्रत्यर्थी :-
धर्मसिंह धानका प्रदेश अध्यक्ष गोडवाना गणतन्त्र पार्टी मुकाम पोस्ट कोटकासिम जिला खैरथल-तिजारा (राज०)	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

## —: निर्णय :- दिनांक 08.04.2026

- 1- अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 24.06.2025 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
- 2- अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
- 3- अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) से जरिये नोटिस क्रमांक 1498 दिनांक 06.10.2025 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 10.10.2025 को उपस्थित आवे। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित हुआ। अपीलार्थी ने अवगत कराया है, कि चॉही गयी सूचना बिन्दूवार नहीं दी गयी है।
- 4- राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) ने जयें पत्राक लोक. सूचना /2005/1521 दिनांक 10.10.2025 के द्वारा जवाब पेश किया गया है, मुताबिक जवाब के अपेक्षित सूचना अपीलार्थी पूर्व पत्राक 1186 दिनांक 18.08.2025 के द्वारा भिजवायी जा चुकी है, जिसकी प्रति संलग्न है। प्रकरण में प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है, अपीलार्थी द्वारा पेश प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 24.06.2025 में वर्णित सूचनाओं के बाबत की गयी कार्यवाही की सूचना अपीलार्थी को पूर्व में ही भिजवायी जा चुकी है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानानुसार विधिवत कार्यवाही की गयी है।
- 5- पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा समुचित जवाब प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है, अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
- 6- अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित-प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जाये। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।
- 7- आज दिनांक 08.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)

जिला कलक्टर  
खैरथल-तिजारा  
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)